न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) **पंचायत निगरानी संख्याः 218/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अम्बादेवी पत्नी मगनलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(2) **पंचायत निगरानी संख्याः 220/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. पोनी पत्नी शंकरलाल, जाति-मेघवाल, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(3) **पंचायत निगरानी संख्याः 230/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. कमियादेवी पत्नी धर्माराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(4) **पंचायत निगरानी संख्याः 231/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. कान्तादेवी पत्नी दानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(5) **पंचायत निगरानी संख्याः 235/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. चम्पादेवी पत्नी [illegible], जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(6) **पंचायत निगरानी संख्या: 236/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रिंकूदेवी पत्नी गोपालराम, जाति-मेघवाल,, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(7) **पंचायत निगरानी संख्या: 237/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. प्रतापराम पुत्र भेराराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(8) **पंचायत निगरानी संख्या: 240/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अंजूदेवी पत्नी वागाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

''निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1.श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही

2.श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :- **दिनांक 18 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत भूमि का नि:शुल्क पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमश: 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.20[illegible] [illegible] दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त [illegible] किये गये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर

....पेज तीन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रुप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह नियम विरुद्ध जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ऐसे परिवार, जिनके पास कही भी कोई भी गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के नि:शुल्क विनियमितिकरण करने का प्रावधान है, लेकिन मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का वर्ष 2003 से पूर्व का झौपडा/कच्चा मकान व कब्जा नही है एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 नि:शुल्क भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जिस भूमि में पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि है, जिसकी पुष्टि इन प्रकरणों में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से होती है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को राजकीय बिलानाम भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार

न्यायालय ... सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

<u>पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020, 220/2020, 230/2020, 231/2020, 235/2020, 236/2020, 237/2020, 240/2020</u>

जारी कर सकती है। अतः अतः इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही के कथनों की ताईद की गई।

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अंध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 6 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत भूमि का निःशुल्क पट्टे जारी करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.2017, 14622 दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को जारी किये गये है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति एवं हल्का पटवारी, वाटेरा द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा को उनके पत्र क्रमांक/2019-20/1150 दिनांक 2.10.2019 के क्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत जिस भूमि के पट्टा विलेख जारी किये गये है, वह भूमि मौके एवं रेकर्ड अनुसार ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा किस्म बा.IV राजकीय बिलानाम भूमि में जारी किये गये है। ग्राम पंचायत को राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या-2 को विधि विरुद्ध राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी किये गये है। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं

....पेज पांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020, 220/2020, 230/2020, 231/2020, 235/2020, 236/2020, 237/2020, 240/2020

इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 एवं इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमश: 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.2017, 14622 दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 218/2020 की पत्रावली के साथ रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।

18/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०) सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested